

116

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
वापन

क्रमांक 489 /475/1(3)/71 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1971
प्रति,

शासन के सप्रस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर,
सप्रस्त संभागीय आयुक्त,
सप्रस्त विभागाध्यक्ष,
सप्रस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानान्तर
के बाद खाली न करना ।

=* =

ऐसा देखने में आया है कि कई शासकीय सेवक, जो शासकीय
आवास गृहों में रहते हैं, अपने स्थानान्तर की सूचना संबंधित अधिकारी को नहीं
देते हैं और दूसरे स्थान पर चार्ज ग्रहण कर लेने पर भी पहले स्थान का शासकीय
अफिस अपने आधिपत्य में रखते हैं । कुछ मामलों में तो ऐसा भी पाया गया है
कि स्थानान्तर के बाद, शासकीय आवास गृह खाली को प्रार्थना अस्वीकृत हो जाने
पर भी, वे शासकीय आवास गृहों को खाली नहीं करते । इस प्रकार का आचरण
शासकीय सेवकों के लिए शोचनीय नहीं है । अतः, सभी शासकीय सेवकों को यह
स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के मामलों में न केवल उनसे मूलभूत नियम
45-ब के अन्तर्गत किराया वसूल किया जाएगा और उनसे आवास गृह खाली करवाने
के लिए न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी बल्कि इस प्रकार के कार्य को शासकीय
सेवकों के आचरण नियमों के तहत दुराचरण माना जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनिक
कार्रवाई की जाएगी ।

2/
आप अपने अधोनस्थ सभी शासकीय सेवकों को शासन के उपर्युक्त
अनुदेश से अवगत करा दें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार की कार्रवाई
अनिवार्य रूप से करें ।

6347/19
(हनुमन्त राव)
विशेष सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ग्वालियर